न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

II/निगरानी/भिण्ड/भू.रा/2018/2242

प्रकरण क्रमांक: /२०१८ निगरानी

१- रामदास पुत्र छोटे सिंह मडौरिया,
२- जनवेद सिंह पुत्र छोटे सिंह मडौरिया,
३- श्रीमती गीता पत्नी नाथूराम सिंह,
समस्त निवासीगण ग्राम- खड़ेरी का पुरा,
तहसील- अटेर जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थीगण

श्री उपरा॰ के अभिभाषक द्वारा आज 5-4-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 13-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 5-4-18

विरुद्ध

१- अरविन्द पुत्र विक्रम सिंह तौमर, निवासी- ग्राम इन्नीखेरा, तहसील पोरसा, जिला मुरैना- मध्यप्रदेश ।

२- श्रीमती अखिलेश पत्नी सरोज सिंह मडौरिया, पुत्री मुंशी सिंह, निवासी ग्राम जामपुरा, तहसील- व जिला भिण्ड-मध्यप्रदेश ।

----- प्रतिप्रार्थी-गण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग, मुरैना, दिनांक १४-३-१८, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ५५०।१७-१८ अपील ।

---

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना-पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अपर आयुक्त महोदय की विवादित आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही रूप से नहीं समझा है ।

३- यह कि, अपर आयुक्त महोदय ने न्यायालय में प्रार्थीगण

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / भिण्ड / भूरा / 2018 / 2242

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 04/11 –18 | आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित होकर यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 550 / 2017–18 / अपील में पारित आदेश दिनांक 14.3.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2–प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा विचारण न्यायालय में ग्राम शुक्लपुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड में कृषि भूमि सर्वे कमांक 555, रकवा 0.57 सर्वे कमांक 557 रकवा 0.34 सर्वे क0 599 रकवा 0.25 कुल किता 3 कुल रकवा 1.160 है0 का बटबारा हेतु आवेदन दिया गया। तहसीलदार द्वारा बटवारा का आदेश दिनांक 20.6.17 को पारित किया। इससे दुखित होकर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की उनके द्वारा अपील स्वीकार कर फर्द संशोधन करने का आदेश दिया जिससे दुखित होकर अपर आयुक्त के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की उनके द्वारा अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।<br>3– आवेदक अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा आवेदक को बिना सुने एवं बिना अभिलेख आहूत किये बिना अनुविभागीय अधिकारी | |

का आदेश निरस्त किया गया है जो विधि प्रकिया के विपरीत है। अपील में अभिलेख बुलाकर एवं सूचना सुनवाई का अवसर देकर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये।

4–अनावेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि अपर आयुक्त का आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह स्थिर रखने योग्य है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा फर्द संशोधित करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है कि फर्द बटवारे के लिये जमीन की किस्म और कीमत का आधार लेना चाहिये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसी के आधार पर फर्द में संशोधन हेतु आदेश दिये थे लेकिन अपर आयुक्त द्वारा बिना अभिलेख बुलाये एवं बिना आवेदक को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखने योग्य नहीं है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 550/2017–18/अपील में पारित आदेश दिनांक 14.3.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को प्रत्यावर्तित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उभयपक्ष को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें।

सदस्य